

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F4(ई)1(6)अलेसे III / 369

दिनांक :- 30/06/2017

आदेश संख्या : 83/2017-18

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा 2013 में सफल घोषित एवं आयोग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंसा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (कनिष्ठ लेखाकार) के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय नियत पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे निम्नांकित तालिका में उनके समक्ष अंकित विभाग/कार्यालय में दिनांक 14/07/2017 तक कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को Email - jacct.dta@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से सूचित करें।

क्र.स. (1)	नाम (सर्वश्री) पिता का नाम रोल न. - मेरिट क्रमांक/वर्ष (2)	जन्मतिथि श्रेणी (3)	पदस्थापन कार्यालय (4)	अभ्यर्थी का फोटो (5)
1	SACHIN SHARMA LATE P R SHARMA 837554 - 209/2013	08/01/1991 GE	JUDGE SPECIAL COURT DACOITY - 25247 , LAW DEPARTMENT , DHOLPUR , DHOLPUR	
2	MILAN KUMAR NAGAR RAMESH CHAND NAGAR 626015 - 326/2013	17/07/1992 GE	INCHARGE P.V. PARTY - 7000081 , INSPECTION , CHITTORGARH , CHITTORGARH	
3	BHUPESH CHANDRA JOSHI TARA CHANDRA JOSHI 716293 - 384/2013	03/09/1984 GE	ADDL. DIRECTOR - 56 , ANIMAL HUSBANDRY , UDAIPUR , UDAIPUR	
4	RAVI PRAKASH MAHA RAM GUNWAL 823652 - 810/2013	11/01/1982 GE	PAO - 1129 , TREASURIES AND ACCOUNTS , NEW DELHI , NEW DELHI	
5	REENU JAIN MAHENDRA KUMAR JAIN 839059 - 1920/2013	07/10/1984 GE,WE	COMMISSIONER - 3 , AGRICULTURE , JAIPUR , JAIPUR	
6	POOJA CHANCHAWAT PRAMOD RAI CHANCHAWAT 413365 - 2482/2013	10/10/1988 GE,WE	ASTT. DIRECTOR - 31111 , CHILD EMPOWERMENT , BANSWARA , BANSWARA	

उपरोक्त अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जा रही है:-

- इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं F.14(1)FD/RULES/2013PT दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा।
राज्य सेवा में पूर्व से कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवा नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
- राज्य सरकार के परिपत्र पं.13 (1)वित्त/नियम 2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

- 3 यह नियुक्ति चरित्र एवं आचरण ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं आचरण के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
- 4 कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र-ए में शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल ई स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
- 5 उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना एफ 14(1)वित्त/नियम/2013-11 दिनांक 28.06.2013 के तहत कनिष्ठ लेखाकार की वेतन श्रृंखला पे-बैंड (2) 9300-34800 ग्रेड-पे 3600 एवं नियमानुसार देय भत्तों पर किया जावेगा।
परिवीक्षा काल में इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्तें देय नहीं होंगे।
- 6 यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियमों, आदेशों व शर्तों के अधीन है।
- 7 अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
- 8 अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
- 9 राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग - I में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
- 10 यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
- 11 उक्त नियुक्तियाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 1464-66/2017 कैप्टन गुरुविन्दर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय के अधीन रहेगी एवं एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8695/2017 दिपेन्द्र सांवल व अन्य बनाम राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.2017 तथा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8890/2017 हेमन्त कुमार खान्डाल बनाम आर.पी.एस.सी. व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.2017 तथा उक्त पदों एवं इस परीक्षा के संबंध में माननीय न्यायालयों में लम्बित विभिन्न याचिकाओं के निर्णयाधीन रहेगी।
- 12 यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में दी गई परिलब्धियाँ एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दो गुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा। अभ्यर्थी विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
- 13 उपरोक्त अभ्यर्थी आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग/कार्यालय में निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- F4(ई)1(6)अलेसे III / 369

दिनांक :- 30/06/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर
2. शासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षको प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से बिन्दु संख्या 7 में अंकित संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिति स्वीकार कर कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करावें।
5. संबंधित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. श्री / श्रीमती / सुश्री.....को पाल नार्थ।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक कोष एवं लेखा।
8. उपनिदेशक (एसीपी) कोष एवं लेखा जयपुर को कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।

4 राश्री पञ्जाव

अपुर्ण
(प्रदीप माथुर)

शपथ पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री सशपथ बयान करता/करती हूँ कि:-

- 1 मेरा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा वर्ष 2013 में चयन हुआ है। तथा मेरा मेरिट क्रमांक है।
- 2 मैं सत्यापित करता /करती हूँ कि मेरा चरित्र उत्तम है और मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय से दोष सिद्ध अपराध नहीं है और न ही कोई अपराधिक प्रमाण किसी न्यायालय में लम्बित है/पुलिस में अनुसंधानरत नहीं है।
- 3 यदि उक्त सूचनाएँ किसी तरह से पुलिस सत्यापन में असत्य एवं झूठी पायी जावे तो प्रार्थी की कनिष्ठ लेखाकार पद की नियुक्ति बिना शर्त/नोटिस के निरस्त की जा सकेगी। तथा असत्य तथ्य प्रस्तुत करने के लिये विभाग भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र होगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

नाम

सत्यापन

मैं उक्त शपथग्रहिता प्रमाणित करता हूँ कि उक्त मद संख्या 1 से 3 के तथ्य मेरे निजी जानकारी के अनुसार सही एवं प्रमाणित है।

शपथग्रहिता